AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNION OF MYANMAR
ON
CULTURAL CO-OPERATION

The Government of the Republic of India and the Government of the Union of Myanmar. (Hereinafter called the contracting parties)

INSPIRED BY a common desire to establish and develop closer cultural relations, and

DESIROUS OF promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between India and Myanmar in the realms of art, culture, education, including academic activity in the fields of science and technology, sports, public health and mass media of information and education.

HAVE AGREED to conclude the following Agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage co-operation in the fields of art and culture, education, including academic activity in the fields of science and technology, public health, mass media of information and education, sports and games and journalism in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

a) reciprocal visits of professors and experts for delivering lectures, study tours and conducting special courses;

b) reciprocal visits of representatives of educational, literary, scientific, technical, artistic, sports and journalists, associations and organizations and participation in congresses, conferences, symposia and seminars;

c) exchange of materials in the fields of culture, science, education, sports, translation and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural and sports publications, and wherever possible, exchange of art specimen; and

d) reciprocal facilities in regard to visits by archaeologists of the one country to the other to enable them to gain experience of excavation as well as preservation and display of archaeological finds, and for training purposes, and also in regard to exchange of specimens or casts.

ARTICLE 3

Each Contracting Party shall endeavour to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of higher education and research laboratories.

ARTICLE 4

Each Contracting Party undertakes to examine the conditions under which the diplomas, certificates and university degrees awarded in the educational and other institutions.

ARTICLE 5

Each Contracting Party shall endeavour to present different facets of the life and culture of other party through the media of radio, television and press. With this end in view, the two Parties shall exchange suitable materials and programmes.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall facilitate and promote:

a) exchange of artists, and dance and music ensembles;

b) exchange of art and other exhibitions;

c) exchange of films, documentaries, radio and television programme recordings and recordings of discs and tapes; and

d) exchange of experts in the fields of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall encourage visits of sports teams between the two countries and shall facilitate, subject to the national laws and regulations in force, their stay and movements in their respective territories.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

ARTICLE 9

Each Contracting Party shall welcome the establishment in its territory of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Contracting Party, or the Contracting Parties jointly, in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard; it being understood that prior clearance of the Government concerned would be obtained before any institution is established under this Article.

ARTICLE 10

For the fulfillment of the objectives of the present Agreement a Joint Committee may be established by the Contracting Parties and when considered necessary consisting of an equal number of representatives of the two Governments, which shall meet as agreed upon between the Contracting Parties at the request of either of the Parties alternately in New Delhi and in Yangon.

The Joint Committee will be responsible for reviewing periodically the working of the present Agreement, advising the Government concerned in formulating and recommending any items of interest to either Party in the fields envisaged in the present Agreement, as also advising the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

ARTICLE 11

The present Agreement shall come into force on the date of signing. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each until either Contracting Party gives to the other a six months prior notice of its intention to terminate the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorised representatives of the contracting Parties have affixed seals thereto.

Done at New Delhi on the fifth day of Magha 1922 (SAKA) corresponding to the 25th day of January 2001 (AD) in six originals, two each in Hindi, Myanmar and English languages, all the texts being equally authentic except that in case of doubt when the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

(ANANTH KUMAR)
Minister for Tourism & Culture

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNION OF MYANMAR

(U. WIN SEIN)
Minister of Culture

भारत गणराज्य की सरकार
और
म्यांमार संघ की सरकार
के बीच सांस्कृतिक सहयोग
संबंधी करार

भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ की सरकार (इसके पश्चात् इनका उल्लेख संविदाकारी पक्षकार के रूप में किया जाएगा।)

घनिष्टतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित व विकसित करने की समान इच्छा से प्रेरित होकर, और

विज्ञान व प्रौद्योगिकी, खेल-कूद, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सूचना व शिक्षा जन-प्रचार माध्यम के क्षेत्रों में अकादेमिक कार्यकलाप सहित कला, संस्कृति व शिक्षा के क्षेत्र में भारत और म्यांमार के बीच संबंधों व सूझबूझ को हर संभव तरीके से प्रोन्नत व विकसित करने की इच्छा से,

निम्नलिखित करार संपन्न करने के लिए सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद 1

संविदाकारी पक्षकार विज्ञान व प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सूचना व शिक्षा, जन-प्रचार माध्यम, खेल-कूद एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में अकादेमिक कार्यकलाप सहित कला व संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को सुकर बनाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनी-अपनी संस्कृतियों व कार्यकलापों के संबंध में बेहतर जानकारी प्रदान कर सकें।

अनुच्छेद 2

संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित करेंगे और सुकर बनाएंगे :

क) व्याख्यान देने, अध्ययन दौरे और विशेष पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु प्रोफेसरों व विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरे;

ख) शैक्षिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक, खेल-कूद और पत्रकारिता, संघों व संगठनों के प्रतिनिधियों के पारस्परिक दौरे तथा सत्रों, अधिवेशनों, संगोष्ठियों और सेमिनारों में सहभागिता;

ग) संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेल-कूद, अनुवाद के क्षेत्र में सामग्री का आदान-प्रदान तथा पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक तथा खेल प्रकाशनों का आदान-प्रदान तथा जहाँ कहीं संभव हो कला नमूनों का आदान-प्रदान; और

घ) उत्खनन और पुरातत्वीय खोजों के परिरक्षण एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में अनुभव हासिल करने तथा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ एक देश के पुरातत्वविदों द्वारा दूसरे देश का दौरा करने तथा कला नमूनों के आदान-प्रदान के संबंध में पारस्परिक सुविधाएं।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपनी उच्च शिक्षा संस्थाओं और शोध प्रयोगशालाओं में अध्ययन के इच्छुक दूसरे देश के छात्रों और वैज्ञानिक कार्मिकों को सुविधाएं और छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 4

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार उन शर्तों की समीक्षा करेगा जिसके अंतर्गत शैक्षिक और अन्य संस्थाओं में डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और विश्वविद्यालय-डिग्रियां प्रदान की जाती हैं।

अनुच्छेद 5

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार रेडियो, दूरदर्शन और प्रेस के माध्यम से दूसरे पक्षकार के जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षकार उपयुक्त सामग्रियों और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 6

संविदाकारी पक्षकार निम्नांकित को सुकर करेंगे और उसका संवर्द्धन करेंगे:-

क) कलाकारों और नृत्य तथा संगीत मंडलियों का आदान-प्रदान ;

ख) कला और अन्य प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ;

ग) फिल्म, डॉक्यूमेंटरी, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रम की रिकार्डिंग्स और डिस्क तथा टेप की रिकार्डिंग्स का आदान-प्रदान ; और

घ) चलचित्रिकी के क्षेत्रों में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भागीदारी।

अनुच्छेद 7

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के बीच खेल-कूद टीमों के दौरों को प्रोत्साहित करेंगे और प्रचलित राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अध्यधीन, अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में उनके ठहरने और आवागमन को सुकर करेंगे।

अनुच्छेद 8

संविदाकारी पक्षकार हर संभव तरीके से यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं के लिए निर्धारित, विशेष रूप से इतिहास और भूगोल से संबंधित पाठ्य पुस्तकों में एक दूसरे के देश के बारे में तथ्य संबंधी कोई अशुद्धि न हो या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

अनुच्छेद 9

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने क्षेत्र में अन्य संविदाकारी पक्षकार अथवा संयुक्त रूप से संविदाकारी पक्षकारों द्वारा इस संबंध में अपने नियमों, विनियमों और सामान्य नीति के अनुसार शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों को समर्पित सांस्कृतिक संस्थाओं अथवा मैत्री संघों की स्थापना का स्वागत करेगा ; यह जानते हुए कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी संस्था की स्थापना करने से पहले संबंधित सरकार की पूर्वानुमति ली जायेगी।

अनुच्छेद 10

वर्तमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जब भी आवश्यक समझा जायेगा, एक संयुक्त समिति की स्थापना की जा सकती है जिसमें दोनों सरकारों के समान संख्या में प्रतिनिधि होंगे और जिसकी बैठक संविदाकारी पक्षकारों के बीच हुई सहमति के अनुसार किसी एक संविदाकारी पक्षकार के अनुरोध पर बार-बारी से नई दिल्ली और यांगोन में होगी।

संयुक्त समिति समय-समय पर वर्तमान करार की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगी जिसके तहत संबंधित सरकार को वर्तमान करार में परिकल्पित क्षेत्रों में दोनों पक्षकारों की रूचि के किसी विषय को प्रतिपादित करने और उसकी सिफारिश करने के संबंध में तथा उन तरीकों की बाबत भी सलाह देगी जिनसे करार के कार्यान्वयन में सुधार हो सके।

अनुच्छेद 11

वर्तमान करार हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा। यह पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और तत्पश्चात् यह तब तक पांच-पांच साल की अगली अवधि के लिए स्वतः नवीकृत होता जायेगा जब तक कोई एक संविदाकारी पक्षकार दूसरे को वर्तमान करार को समाप्त करने के अपने इरादे से संबंधित सूचना छह माह पूर्व नहीं देता है।

जिसके साक्ष्य में, संविदाकारी पक्षकारों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने उस पर अपनी मुहरें लगा दी हैं।

नई दिल्ली में माह माघ 1922 (शक) के पांचवें दिन तदनुसार माह जनवरी 2001 (ईसवी सन्) के 25वें दिन छह मूल प्रतियों में, हिन्दी, म्यांमार और अंग्रेजी में, प्रत्येक दो-दो प्रतियों में निष्पादित किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं इस अपवाद के साथ कि संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य
की
सरकार की ओर से

(अनन्त कुमार)
पर्यटन और संस्कृति मंत्री

म्यांमार संघ
की
सरकार की ओर से

(यू. विन सेन)
संस्कृति मंत्री